न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 60/2009 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर

:--- प्रतिवादी/अपीलांटस

बनाम

1 रमेश पुत्र रामपत
2 लक्ष्मण पुत्र रामपत
3 शीला बेवा रामपत
4 सन्तोष पुत्री रामपत
5 गुरूदयाल पुत्र चन्द्र
6 सुरज्ञानी पुत्र चन्द्र जातियान धानका निवासीयान ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:--- वादीगण/रेस्पां0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 25.3.2008

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री विनोद यादव

(राजकीय अभिभाषक)

2. वकील रेस्पो0 :– श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

निर्णय दिनांक 15.2.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 282/07 में पारित निर्णय दिनांक 25.3.2008 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत दुरुस्ती इन्द्राज डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 1.40 हेक्टेयर तथा 241 रकबा 1.13 हेक्टेयर वाके ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर वादीगण की शामलाती कब्जे काश्त गैर खातेदारी की आराजी है । विवादित आराजी में वादीगण की जाति धानका है । परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से धानका की जगह बलाई दर्ज कर दिया । इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में धानका के स्थान बलाई का अंकन चला आ रहा है, जो गलत है । अन्य सभी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि में वादीगण की जाति धानका लिखी हुई है । राजस्व रेकार्ड में धानका के स्थान पर बलाई का अंकन होने के कारण विवादित आराजी की गैर खातेदारी से खातेदारी का पटटा लेने में परेशानी हो रही है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 राज्य सरकार (अपीलांट) की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वादीगण रेस्पो0 की जाति वास्तव में बलाई ही है, धानका नहीं है । पुराने राजस्व रिकार्ड में उसके पिता, दादा की जाति बलाई दर्ज है । सम्वत 2014 की जमाबन्दी में वादीगण के बुजुर्गों की जाति बलाई दर्ज है । वादीगण के नाम जब विरासत का इन्तकाल दर्ज हुआ था, उस समय भी उसके पिता की जाति बलाई दर्ज थी । उस समय वादीगण ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की । वादीगण को शुरू से ही बलाई के अंकन की जानकारी थी । इस प्रकार वादी का वाद मियाद बाहर था । बलाई जाति अनुसूचित जाति में आती है और धानका अनुसूचित जन जाति में आती है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय धारा 42 आर0 टी0 एक्ट के विपरीत है । अगर वादीगण रेस्पो0 ने रा शन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि में अपनी जाति धानका दर्ज करवा ली हो तो इससे राजस्व विभाग

भू-प्रबन्ध ... एवं पदेन
राजस्व अपील ..., अलवर

Scanned by CamScanner

पाबन्द नहीं है तथा इससे यह नहीं माना जा सकता कि राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादीगण की जाति धानका के स्थान पर बलाई दर्ज कर दी हो । जब साबिक रेकार्ड में वादीगण के बाप दादा की जाति बलाई अंकित है तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर वाद डिक्री कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है । देरी का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया है । मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संतोषजनक कारण बताने पर ही स्वीकार किया जा सकता है, जैसा कि 2000 आर0 आर0 डी0 पेज 259 में प्रतिपादित किया गया है । अतः अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । उन्होंने आगे बताया कि हमारी जाति वास्तव में धानका है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने गलती से धानका के स्थान पर बलाई जाति दर्ज कर दी । हमने हमारे वाद को दस्तावेजी साक्ष्य रा शन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि से साबित कराया है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों के जवाब में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि राज्य सरकार की ओर से अपील पेश करने के लिये लम्बी निर्धारित प्रकिया को अपनाना होता है । जिसमें लीगल अधिकारी से राय मांगी जाती है तथा मार्गदर्शन हेतु पत्रावली को भेजा जाता है तथा अपील पेश करने की स्वीकृति ली जाती है तथा प्रकरण की पैरवी हेतु सक्षम अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया जाता है । इतना ही नहीं, राज्य सरकार के प्र शासनिक अधिकारी अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं । इन सब कारणों से अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है । अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर हुई देरी को कंडोन किया जावे तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एवं विद्वान वकील अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

7 विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर पारित कर यह मान लिया कि वादीगण रेस्पो0 की जाति वास्तव में बलाई न होकर धानका है । तहत न्यायालय का यह निर्णय न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो उसने साबिक रेकार्ड का अवलोकन किया, ना ही इस तथ्य की जांच कराई गई कि वादीगण की वास्तव में जाति क्या है । ऐसी स्थिति में हम साबिक रेकार्ड का अवलोकन कर एवं अन्य जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.3.08 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि साबिक रेकार्ड का अवलोकन कर तथा वादीगण की जाति के सम्बन्ध में विधिवत जांच कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई दिनांक 13.3.2018 को तहत न्यायालय में उपस्थित हो ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner